

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

आमेलेख वाद संख्या- ६४/२०२०-२१(१)

अभिलेख वाद संख्या—	64/2020-21/(ii)	अभियुक्त
दिनांक	आदेश फलक	
03/09/2020	वाद का प्रकार—बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एवं कार्रवाई से संबंधित।	
	<p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक—2074/रा०, दिनांक—13.05.2016 संहारित— श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू—अर्जन—सह—विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या—3—खाता ०८०निति—११९/८५/२३०८/रा०, दिनांक—०३.०९.१९८५ एवं सह—पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या—९१४/रा०, दिनांक—०९.१२.१९९८ में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूरआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्ररम्भ की गयी। जॉच के कम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :—</p> <p>मौजा— राधानगर थाना नं— ६६ खाता संख्या— ५१ प्लॉट संख्या— ०२ रकबा— १२० एकड़ की भूमि जो गैरमजरूरआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द संख्या— १ के पृष्ठ संख्या— १०९ पर जमाबंदी रैयत जुरन रजवार कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विलङ्घ कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोड़करं बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उघेश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की, जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना चाहनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू—खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण—पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।</p> <p>अभिलेख दिनांक— 19/09/2020 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">(6) १९/१० ०९/१०/२०</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी गोविन्दपुर</p>	

२०.८.३.२०२०

१९.०९.२०२०

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त। निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत/जमाबंदी रैयत के दंशज के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया और न ही अपना पक्ष ही रखा गया।

अतः उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुशंसा की जाती है। अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल में भूमि सुधार उपसमाहर्ता को भेजे।

०३/९/०२
अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जॉच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :-

तुरन रमन
पिंड

2. जमाबंदी सं संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
रायगढ़	66	51	02	1 ५०

3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या । पृष्ठ सं० 109 पर कायम है-

4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - प्राप्तिशुलिकोलग बालूह

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- तुरन रमन (११८)

6. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :-

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित हैं तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिवंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबन्दोवस्ती) -

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जॉच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जर्मिंदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी)

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एंव वर्ष -

कम संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
<u>उन्न० ३१०/३११ १८१/११६</u>			
<u>मालांग</u>			

आवेदित भूमि संख्या ३१०/३११ पंची के अनुसार ग्राम राते गोदाम है
 संवारित छोड़ी में जमाबंदी नं० 109 पंची प्राप्तिशुलिकोलग में
 गोड़ी के आदेश छोड़ी नहीं है उठत व्यापक दी निर्देश प्रति
 छोड़ा है।
 इतः उठत पंची २५ दिन तक अनुसंधान करा दिया जाए।
मालांग मालांग